भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1093
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

गोद लेने संबंधी परामर्श सेवाएँ

1093. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में सूचीबद्ध दत्तक ग्रहण परामर्शदाताओं की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा है;
(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार दत्तक ग्रहण के पहले/बाद में परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाली राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसियों की निगरानी कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं;
(ङ) क्या सरकार बाल-अनुकूल और भावनात्मक रूप से सहायक दत्तक ग्रहण परिवेश के निर्माण के लिए परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण सहायता दे रही है, यदि हाँ, तो राज्य-वार प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसियों को उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटित, वितरित/उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को भारत में अनाथ, परित्यक्त और

अभ्यर्पित बच्चों के गोद लेने को बढ़ावा देने, विनियमित करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार सांविधिक निकाय बनाया गया है।

केंद्रीय नियामक संस्था के रूप में, 'कारा' सभी 'सारा'(एसएआरए) और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) के कामकाज की देखरेख और निगरानी करता है, जिसमें दत्तक ग्रहण से पूर्व और पश्चात परामर्श, समीक्षा और निरीक्षण शामिल हैं। एसएआरए राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करता हैं जो एसएए का पर्यवेक्षण करता हैं और यह सुनिश्चित करता हैं कि परामर्शदाता उपस्थित हों और कार्यरत हों।

'कारा' परामर्शदाताओं और दत्तक ग्रहण कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है, जबकि 'सारा' राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करता है और बाल-अनुकूल तथा सहायक दत्तक ग्रहण व्यवस्था बनाने के लिए 'कारा' के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

तथापि, 'कारा' के पास पैनल में शामिल दत्तक ग्रहण परामर्शदाताओं, परामर्श सेवाओं की संख्या और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सूची का कोई राज्यवार और जिलावार डाटाबेस नहीं है।

(च): यह मंत्रालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने बच्चों (सीसीएल) के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करना है। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत, बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) सहित बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में बाल देखरेख की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह मंत्रालय मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निधि जारी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जारी निधि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

'गोद लेने संबंधी परामर्श सेवाएँ' विषय के संबंध में श्री बी के पार्थसारथी द्वारा पूछे गए लोक सभा में दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिशन वात्सल्य योजना के तहत जारी राज्यवार निधि

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	44.03
2	अरुणाचल प्रदेश	5.32
3	असम	31.39
4	बिहार	53.35
5	छत्तीसगढ़	39.10
6	गोवा	5.14
7	गुजरात	19.50
8	हरियाणा	6.40
9	हिमाचल प्रदेश	37.68
10	जम्मू और कश्मीर	44.75
11	झारखंड	18.73
12	कर्नाटक	86.48
13	केरल	12.03
14	मध्य प्रदेश	117.24
15	महाराष्ट्र	144.97
16	मणिपुर	68.15
17	मेघालय	22.30
18	मिजोरम	37.06
19	नागालैंड	33.92
20	उड़ीसा	68.83
21	पंजाब	14.76
22	राजस्थान	74.98
23	सिक्किम	16.21
24	तमिलनाडु	122.82
25	तेलंगाना	36.97

26	त्रिपुरा	19.23
27	उत्तर प्रदेश	92.05
28	उत्तराखंड	14.49
29	पश्चिम बंगाल	70.18
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.13
31	चंडीगढ़	7.59
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.91
33	दिल्ली	7.62
34	लक्षद्वीप	0.00
35	लद्दाख	3.81
36	पुदुच्चेरी	4.17

*****